

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

विधान सभा कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 (भाज 19, 1923)

समय 10.30 बजे विन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नलगल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री अनुप मिश्रा, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, छिंदवाड़ा में आयोजित किसान मेले में एक पूर्व मंत्री को अपमानित किये जाने की ओर गह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) कुंवर विजय शाह, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री कमल पटेल, सदस्य, खंडवा जिले के इंदिरा सागर परियोजना के द्वाब प्रभावितों को जमीन का मुआवजा दिये जाने में भेदभाव होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. प्रबर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

चौधरी राकेश सिंह, सभापति, मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर निर्मित प्रबर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जुगल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

- (क) ग्राम रैगाव में पुलिस चौकी खोले जाने; तथा
- (ख) ग्राम रैगाव में उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का बजा दिलाये जाने,

(2) श्री जोधाराम गुर्जर, सदस्य, भोपाल जिले के -

- (क) ग्राम ईटखेड़ी में शासकीय स्कूल का नवीन भवन बनाये जाने,
- (ख) ग्राम कोतुखेड़ी खुर्द में विद्यालय भवन बनाये जाने,
- (ग) ग्राम जमूसर खुर्द में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (घ) ग्राम काँदोखेड़ी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ङ) ग्राम सोनकछु में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (च) ग्राम कढ़ैया शाह में विद्यालय भवन बनाये जाने,
- (छ) ग्राम हिनोतिया घाट में विद्यालय भवन बनाये जाने; तथा
- (ज) ग्राम मूडला अद्टान में विद्यालय भवन बनाये जाने,

(3) श्री चन्द्रशेखर देशमुख, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बिसनुर स्थित हाई स्कूल का उत्थयन कराये जाने,

(4) श्री हरिन्द्र जीत सिंह (बब्बू), सदस्य, भोपाल नगर के नेहरू नगर शेत्र स्थित मकान नम्बर बी.एम.23 के सामने कचरा ट्राली रखाये जाने,

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के -

- (क) सिरोज नगर में 132 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने,
- (ख) ग्राम नरखेड़ा जागीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने; तथा
- (ग) सिरोज नगर में सिविल डिस्पेन्सरी खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

一
四

निधारित
समय

श्री अजय मंशारान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करें :-

7. वर्ष 2001-2002 की प्रथम अनुप्रस्थ नीगो पर मतवान

"ਦਿੰਨਾਕ 31 ਮਾਰਚ, 2002 ਕੋ ਸਮਾਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿਨੀਂ ਚਰ੍ਚ ਮੈਂ ਅਨੁਦਾਨ ਸੜ੍ਹਿਆ
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,48,49,50,55,56,57,59,
60,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,
88,89,90,91,92,93 ਤਥਾ 94 ਕੋ ਲਿਖੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਧਿ ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਿਤ
ਕਾਨਪੁਰ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਹੱਤਵ ਕੋ ਕੁਝ ਮਿਲਾਉਣ ਪੜਾਵ ਸੀ ਛੱਡੀਸ ਕਰੋਡ,
ਤੀਜਾ ਲਾਖ, ਭਿਆਲੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਅਨੁਸ਼ੇ਷ਕ ਰਾਸ਼ਦੀ ਦੀ ਜਾਇ।"

४. शासनकार्य मिति विषयाचक अकार्य

(1) श्री अजय मुश्यान, वित्त मंत्री, मध्यपदेश विनियोगे (क्रमांक-३) विदेशीक, 2001 (क्रमांक 17 मन् 2001) का पुरस्थापना* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विदेशीक पर विद्यार किया जाए।

1 घन्टा

(2) श्री हरवंश सिंह, जन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश युज्मो का परिवर्षधण (नगरीय क्षेत्र) लिखेयक, 2001 (क्रमांक 14 सन् 2001) पर लिचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा लिखेयक पर खण्डशः लिचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि लिखेयक पारित किया जाय।

उरु प्रस्ताव के पारित होने तथा लिखेयक पर खण्डः लिचार हो चुकने पर

७. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय तोक महस्त के विषय पर जर्खि माध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न दिशिति के संबंध में चर्चा का पुनर्विषय।

प्रिन्सिपल : श्रीमति. राजेश वर्मा
भोगल : ९ दिसंबर, २०११

* अनुप्रवक्त मार्गो का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

के तुरन्त पश्चात्.